प्रकरण संख्या 16/2017 श्रीमती जगुड़ी बनाम मंगलसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.01.2019	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा समायत शुदा बहस पर मनन किया गया व पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.06.2011 को तनकियात कायम होकर पत्रावली साक्ष्य में विचाराधीन थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में साक्ष्य लिये बिना, राजीनामा हुए बिना प्रकरण को लोक अदालत में रख कर 7 लाईनों में संक्षिप्त रूप से वादी का वाद डिक्री कर दिया जो स्पष्टया आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध होकर त्रुटि है। उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2016 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में लोक अदालत में राजीनामा नहीं हुआ था अतएवं उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर प्रकरण में तनकीवार विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.03.2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 16/2017 श्रीमती जगुड़ी बनाम मंगलसिंह